रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 1975/आश्विन 16, 1897

No. 421] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1975/ASVINA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October 1975

THE VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH RULES, 1975

S.O. 597(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 (15 of 1975), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Rules, 1975.

2. **Definitions.**—(a) In these rules, "the Ordinance" means the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 (15 of 1975);

(b) All references to "Forms" in these rules shall be construed as references to the forms set out in the Appendix hereto.

3. **Form of declaration under section 3 in respect of voluntarily disclosed income.**—The declaration under sub-section (1) of section 3 of the Ordinance in respect of voluntarily disclosed income shall be in Form A and shall be verified in the manner indicated therein.

4. **Form of declaration in respect of income under section 14 in cases of search and seizure.**—The declaration in respect of income under sub-section (1) of section 14 of the Ordinance in cases of search and seizure shall be made in duplicate in Form B and shall be verified in the manner indicated therein.

5. **Form of declaration under section 15 in respect of net wealth or value of assets not disclosed or understated.**—(1) The declaration under sub-section (1) of section 15 of the Ordinance in respect of net wealth or value of assets not disclosed or understated shall be made in duplicate in Form C and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) Where a declaration under sub-rule (1) is made in respect of net wealth, or includes any declaration in respect of net wealth, for any assessment year or years, the declaration shall be accompanied by a return of net wealth for such year or years in the form prescribed under section 14 of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

APPENDIX

FORM A

Voluntary Disclosure

(*See* rule 3)

Form of Declaration under Section 3 (1) of the Voluntary Disclosure of income and Wealth Ordinance, 1975 in Respect of Voluntary Disclosed Income.

To

The Commissioner of Income-tax

.....

Sir,

I hereby make a declaration under section 3(1) of the Voluntarily Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975.

I give below the necessary particulars :—

1. (a) Name of the declarant.....
(in block letters)

(b) Permanent Account Number (if any)
.....

2. Address : Office Tel. No.
.....

Residence..... Tel. No.
.....

3. Status of the declarant
(State whether individual,
Hindu undivided family,
firm, company, etc.)

4. (a) Whether assessed to income-tax

(b) If so, name of Income-tax Circle/
Ward/District where last assessed.
.....

†5. Statement of voluntarily disclosed income

Serial No.	Amount of income declared	†† Assessment year(s) to which the income relates	If the income is represented by cash (including bank deposits), bullion, investment in shares, debts due from other persons, commodities or any other assets.			Remarks
			Description of asset	Name in which held	Amount	
1	2	3	4	5	6	7

6. Total amount of voluntarily disclosed income

7. Income-tax payable thereon

8. Income-tax paid before the date of declaration

(Attach proof of payment)

9. Whether the amount of the voluntarily disclosed income has been credited in the books of account or any other record.

(If so, attach copies of the relevant intries in duplicate)

VERIFICATION

I, ..., *son/daughter/wife of Shri....."
(name in block letters) (name of *father/husband)
solemnly declare that—

(a) the information given in this declaration is correct and complete to the best of my knowledge and belief;

(b) in addition to my own income in respect of the assessment year(s) for which the declaration is made, income of other persons in respect of which I am chargeable to tax and income accruing or arising from assets held by me through any other person, for which I had failed to furnish a return under section 139 of the Income-tax Act, 1961/*which I had failed to disclose in a return of income furnished by me before the 8th October, 1975/*which has otherwise escaped assessment, has been disclosed in this declaration;

(c) the income of any other person in respect of which I am not chargeable to tax has not been included in this declaration.

I further declare that I am making this declaration in my capacity as.....
(designation)
and that I am competent to make this declaration and verify it.

.....
Signature

Place.....
Date.....

†If space provided is insufficient, separate enclosure may be used for the purpose.

‡Where the voluntarily disclosed income relates to more than one assessment year income in respect of each assessment year may, if possible, be indicated separately.

*Score out whichever is not applicable.

NOTES :

1. Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that the declaration is correct and complete in every respect.

2. Any person who has made a declaration under section 3(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975, is not entitled to make any other declaration under that section and any such other declaration, if made, shall be deemed to be void.

3. A declaration under section 3(1) of the said Ordinance cannot be made in respect of—

 (a) income for any assessment year which the declarant has failed to disclose in a return of income furnished on or after the 8th October, 1975;

 (b) income for any assessment year for which a notice under section 139 or section 148 of the Income-tax Act, 1961 has been served on the declarant, but the return for that year has not been furnished by him before the 8th October, 1975;

 (c) income in respect of the previous year in which the books of account, other documents, money, bullion, jewellery or other valuable articles or things belonging to the declarant have been seized as a result of any search made under section 132 of the Income-tax Act, 1961, or section 37A of the Wealth-tax Act, 1957, or any earlier previous year.

FORM B

Voluntary Disclosure

(*See* rule 4)

Form of Declaration in respect of Income under Section 14(1) of the Voluntary Disclosure of income and wealth Ordinance, 1975 in cases of Search and Seizure.

To

The Commissioner of Income-tax,

.....

Sir,

I hereby make a declaration under section 14(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975.

I give below the necessary particulars :—

1. (a) Name of the declarant (in block letters)

 (b) Permanent Account Number (if any)

2. Address : Office Tel. No.....

 Residence Tel. No.....

3. Statues of the declarant (State whether individual, Hindu undivided family, firm, company, etc.)

4. (a) Whether assessed to income-tax

 (b) If so name of income-tax Circle/ Ward/District where last assessed.

5. Date(s) on which search under section 132 of the Income-tax Act, 1961 or section 37A of the Wealth-tax Act, 1957 was made.....

†6. Statement of income declared.

Serial No.	Assessment year to which the income relates.	Amount of income declared	If the income is represented by cash (including bank deposits), bullion, investment in shares, debts due from other persons, commodities or any other assets			Remarks
			Description of assets	Name in which held	Amount	
1	2	3	4	5	6	7

7. Total amount of income declared

‡8. Amount of tax chargeable in respect of such income. (Where the declaration relates to the income of more than one assessment year, the tax in respect of each year should be shown separately)

9. Income-tax paid before the date of declaration
(Attach proof of payment)

VERIFICATION

I, ..., *son/daughter/wife of Shri.....
(name in block letters) (name of *father/husband)

solemnly declare that—

(a) the information given in this declaration is correct and complete to the best of my knowledge and belief;

(b) in addition to my own income in respect of the assessment year(s) for which the declaration is made, income of other persons in respect of which I am chargeable to tax and income accruing or arising from assets held by me through any other person, for which I had failed to furnish a return under section 139 of the Income-tax Act, 1961/*which I had failed to disclose in a return of income furnished by me before the 8th October, 1975/*which has otherwise escaped assessment, has been disclosed in this declaration;

(c) the income of any other person in respect of which I am not chargeable to tax has not been included in this declaration.

I further declare that I am making this declaration in my capacity as.....
(designation)

and that I am competent to make this declaration and verify it.

.....
Signature

Place.....
Date.....

†If space provided is insufficient, separate enclosure may be used for the purpose.

‡The tax chargeable in respect of the income shown in the decaration has to be calculated in accordance with the provisions of the *Explanation* to sub-section (5) of section 14 of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975.

*Score out whichever is not applicable.

NOTES:

1. Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that the declaration is correct and complete in every respect.
2. Any income which has been included in the total income of the declarant in any assessment made by the Income-tax Officer before the date on which this declaration is made should *not* be shown in this declaration.
3. A declaration under section 14(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 cannot be made in respect of income for any assessment year which the declarant has failed to declare in a return of income furnished on or after the 8th October, 1975.
4. This declaration should be submitted in duplicate.

FORM C

Voluntary Disclosure

(*See* rule 5)

Form of Declaration under Section 15(1) *of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance,* 1975 *in respect of net wealth or value of assets not disclosed or understated*

To

The Commissioner of Wealth-tax,

.....

Sir,

I hereby make a declaration under section 15(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975.

I give below the necessary particulars :—

1. (a) Name of the declarant..... (in block letters)

(b) Permanent Account Number (if any)

2. Address : Office Tel. No.....

.....

Residence Tel. No.....

.....

3. Status of the declarant (State whether individual or Hindu undivided family)

4. (a) Whether assessed to wealth-tax

(b) If so, name of Wealth-tax Circle/Ward/District where last assessed

†5. Statement of net wealth declared (Attach a return of net wealth for each assessment year)

Serial No.	Assessment year	Amount of net wealth	Remarks
1	2	3	4

6. Statement of value of assets not disclosed or understated.

Serial No.	Assessment year	Description of assets not disclosed or under valued	Value of assets as returned/ assessed	Value declared	Amount understated
1	2	3	4	5	6

‡7. Amount of wealth-tax chargeable (Where the declaration relates to more than one assessment year, the wealth-tax in respect of each year should be shown separately)

8. Wealth-tax paid before the date of declaration (Attach proof of payment)

VERIFICATION

I, ..., *son/daughter/wife of Shri.....
(name in block letters) (name of *father/husband)
solemnly declare that—

(a) the information given in this declaration is correct and complete to the best of my knowledge and belief;

(b) the value of all assets held by me through other persons and assets held by other persons which are to be included in computing my net wealth has been shown in this declaration;

(c) the value of assets held by any other person which is not to be included in computing my net wealth has not been shown in this declaration.

I further declare that I am making this declaration in my capacity as.....
(designation)
and that I am competent to make this declaration and verify it.

.....
Signature

Place.....

Date.....

†If space provided is insufficient, separate enclosure may be used for the purpose.

‡The wealth-tax chargeable in respect of net wealth/value declared has to be calculated in accordance with the provisions of the *Explanation* to sub-section (5) of section 15 of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975.

*Score out whichever is not applicable.

NOTES :

1. Before signing the verification, the signatory should satisfy himself that the declaration is correct and complete in every respect.
2. A declaration under section 15(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 cannot be made in relation to net wealth assessable for any assessment year for which a notice under section 14 or section 17 of the Wealth-tax Act, 1957 has been served on the declarant before the 8th October, 1975.
3. So much of the value of assets as has been assessed in any assessment for the relevant assessment year made by the Wealth-tax Officer before the date on which the declaration is made should *not* be shown in this declaration.
4. This declaration should be submitted in duplicate.

[No. 1128/F. No. 142(47)/75-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secretary, Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1975

का० आ० 597 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का 15) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन नियम, 1975 है ।

2. **परिभाषाएं.**—(क) इन नियमों में, "अध्यादेश" से आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) इन नियमों में "प्ररूपों" के प्रति सभी निर्देशों का अर्थान्वयन इसके परिशिष्ट में दिए गए प्ररूपों के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा ।

3. स्वेच्छा से प्रकट की गई आय की बाबत धारा 3 के अधीन घोषणा का प्ररूप.—स्वेच्छा से प्रकट की गई आय की बाबत अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्ररूप 'क' में होगी और उसे उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित किया जाएगा ।

4. तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में धारा 14 के अधीन आय की बाबत घोषणा का प्ररूप.—तलाशी और अभिग्रहणों के मामलों में अध्यादेश की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन आय की बाबत घोषणा प्ररूप 'ख' में दो प्रतियों में की जाएगी और उसे उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित किया जाएगा ।

5. प्रकट न की गई या कम बतलाई गई आस्तियों के शुद्ध धन या मूल्य की बाबत धारा 15 के अधीन घोषणा का प्ररूप.— (1)प्रकट न की गई या कम बतलाई गई आस्तियों की बाबत शुद्ध धन या मूल्य, अध्यादेश की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्ररूप 'ग' में दो प्रतियों में की जाएगी और उसे उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित किया जाएगा ।

(2) जहां शुद्ध धन की बाबत उपनियम (1) के अधीन घोषणा की जाती है या किसी निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए शुद्ध धन की बाबत वे घोषणाएं शामिल की जाती हैं, वहां ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 14 के अधीन विहित प्ररूप में शुद्ध धन की एक विवरणी भी साथ साथ दी जाएगी ।

परिशिष्ट

प्ररूप क

स्वेच्छया प्रकटन

(नियम 3 देखिए)

स्वेच्छया प्रकट की गई आय की बाबत आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 3 (1) के अधीन घोषणा के लिए प्ररूप

सेवा में,

आयकर आयुक्त,

.....

महोदय,

मैं, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 3(1) के अधीन घोषणा करता/करती हूं ।

मैं निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां दे रहा हूं/रही हूं :

1. (क) घोषणाकर्ता का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

(ख) स्थायी लेखा संख्या
(यदि कोई हो)

2. पता : कार्यालय टेलीफोन संख्या
निवास स्थान टेलीफोन संख्या

3. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति
(यह बताएं कि वह व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म या कम्पनी है)

4. (क) क्या आयकर निर्धारित किया गया है

(ख) यदि हां, तो उस आयकर सर्किल/वार्ड/जिले का नाम, जहां अन्तिम निर्धारण किया गया ।

†5. स्वेच्छया प्रकट की गई आय का विवरण

क्रम संख्या	घोषित आय की राशि	††निर्धारण वर्ष जिस से आय सम्बन्धित है	क्या आय, नकदी (जिसके अन्तर्गत बैंक निक्षेप भी हैं) सोना-चांदी, अंशों में विनिधान, अन्य व्यक्तियों से शोध्य ऋण, वाणिज्य या अन्य आस्तियों के रूप में है ।			
			आस्तियों का वर्णन	किस नाम से है	राशि	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

6. स्वेच्छया घोषित आय की कुल राशि

7. उस पर संदेय आय-कर

8. घोषणा की तारीख से पूर्व संदत्त आय-कर
(संदाय का सबूत संलग्न करें)

9. क्या स्वेच्छया घोषित आय की राशि लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में जमा की गई है

(यदि हां, तो सुसंगत प्रविष्टियों की प्रतिलिपि दोहरी प्रतियों में संलग्न करें)

सत्यापन

मैं, * पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

(स्पष्ट अक्षरों में नाम) (*पिता/पति का नाम)

सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता हूं/करती हूं कि :—

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है;

(ख) उस/उन निर्धारण-वर्ष/वर्षों की बाबत, जिसके/जिनके लिए घोषणा की गई है, मेरी निजी आय के अतिरिक्त, अन्य व्यक्तियों की आय, जिसकी बाबत मैं कर के लिए प्रभार्य हूं और किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत मेरे द्वारा धारित आस्तियों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय, जिसकी बाबत मैं आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं कर सका था। *जिसको मैं 8 अक्तूबर, 1975 से पूर्व स्वयं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में प्रकट नहीं कर सका था।* जिसका अन्यथा निर्धारण नहीं हो पाया है, इस घोषणा में प्रकट कर दी गई है ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसकी बाबत मैं कर के लिए प्रभार्य नहीं हूं, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं की गई है ।

मैं यह और घोषित करता हूं/करती हूं कि मैं

(पदाभिधान)

की हैसियत से घोषणा कर रहा/रही हूं और यह घोषणा करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

†यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो इस प्रयोजनार्थ पृथक् अनुलग्नक का उपयोग किया जा सकता है ।

††जहां स्वेच्छा से प्रकट की गई आय, एक से अधिक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हो, वहां प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत आय, यदि सम्भव हो, पृथक्-पृथक् उपदर्शित की जा सकती है ।

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

टिप्पण :

1. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा हर प्रकार से ठीक और पूर्ण है ।

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 3(1) के अधीन घोषणा की है, उस धारा के अधीन कोई अन्य घोषणा करने का हकदार नहीं है और कोई ऐसी अन्य घोषणा, यदि की गई हो, शून्य समझी जाएगी ।

3. उक्त अध्यादेश की धारा 3(1) के अधीन कोई घोषणा निम्नलिखित की बाबत नहीं की जा सकती है—

(क) किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय, जिसे घोषणाकर्ता 8 अक्तूबर, 1975 को या उसके पश्चात् दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल रहा है;

(ख) किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 या धारा 148 के अधीन घोषणाकर्ता पर सूचना की तामील कर दी गई है, किन्तु उस वर्ष के लिए विवरणी 8 अक्तूबर, 1975 के पूर्व उसके द्वारा नहीं दी गई है;

(ग) ऐसे पूर्व वर्ष या किसी पहले के पूर्व वर्ष की बाबत आय जिसमें घोषणाकर्ता की लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेजें, रकम, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं या चीजें आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के परिणाम स्वरूप अभिगृहीत की गई हैं ।

प्ररूप ख

स्वेच्छया प्रकटन

(नियम 4 देखिए)

तलासी और अभिग्रहण की दशा में, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 की धारा 14(1) के अधीन आय की बाबत घोषणा के लिए प्ररूप

सेवा में,

आय कर आयुक्त

.....

महोदय,

मैं, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 14(1) के अधीन घोषणा करता/करती हूं ।

मैं निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां दे रहा/रही हूं:—

1. (क) घोषणाकर्ता का नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)

(ख) स्थायी लेखा संख्या (यदि कोई हो).....

2. पता : कार्यालय.....टेलीफ़ोन सं०
निवास स्थान.....टेलीफ़ोन संख्या.....

3. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति
(यह बताएं कि वह व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फ़र्म या कम्पनी है)

4. (क) क्या आयकर निर्धारित किया गया है.....
(ख) यदि हां, तो आयकर सर्किल/वार्ड/जिले का नाम, जहां अन्तिम निर्धारण किया गया

5. वे तारीखें, जिनको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 37क के अधीन तलाशी ली गई

†6. घोषित आय का विवरण

क्रम सं०	निर्धारण वर्ष जिससे आय सम्बन्धित है	घोषित आय की राशि	क्या आय नकदी (जिसके अन्तर्गत बैंक निक्षेप भी हैं) सोना-चांदी, अंशों में विनिधान अन्य व्यक्तियों से शोध्य ऋण, वाणिज्य या अन्य आस्तियों के रूप में है			टिप्पण
			आस्तियों का वर्णन किसके नाम में है		राशि	
1	2	3	4	5	6	7

7. घोषित आय की कुल राशि.....

††8. ऐसी आय की बाबत प्रभार्य कर की राशि (जहां घोषणा एक निर्धारण वर्ष से अधिक की बाबत है वहां प्रत्येक वर्ष की बाबत कर पृथक्तः दर्शित किया जाना चाहिए).....

9. घोषणा की तारीख से पूर्व संदत्त आय-कर (संदाय का सबूत संलग्न करें)

सत्यापन

मैं.....,*पुत्र/पुत्री/पत्नी
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री..... सत्य निष्ठापूर्वक
(*पिता/पति का नाम)

घोषित करता हूं/करती हूं कि—

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है;

(ख) उस/उन निर्धारण-वर्ष/वर्षों की बाबत, जिसके/जिनके लिए घोषणा की गई है, मेरी निजी आय के अतिरिक्त, अन्य व्यक्तियों की आय, जिसकी बाबत मैं कर के लिए प्रभार्य हूं और किसी अन्य व्यक्ति की मार्फ़त मेरे द्वारा धारित आस्तियों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय, जिसकी बाबत मैं आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं कर सका था /*जिसको मैं 8 अक्तूबर, 1975 से पूर्व स्वयं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में प्रकट नहीं कर सका था /* जिसका अन्यथा निर्धारण नहीं हो पाया है, इस घोषणा में प्रकट कर दी गई है;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसकी बाबत मैं कर के लिए प्रभार्य नहीं हूं, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं की गई है ।

मैं यह और घोषित करता/करती हूं कि मैं.....

(पदाभिधान)

की हैसियत में यह घोषणा कर रहा हूं और यह घोषणा करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

तारीख.....

†यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो इस प्रयोजनार्थ पृथक् अनुलग्नक का उपयोग किया जा सकता है ।

††घोषणा में दर्शित आय की बाबत प्रभार्य कर की संगणना आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 14 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

टिप्पण :—

1. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि यह घोषणा हर प्रकार से ठीक और पूर्ण है ।

2. कोई आय, जो उस तारीख के पूर्व, जिस तारीख को यह घोषणा की गई है, आय-कर अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण में घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित की गई है, इस घोषणा में दर्शित नहीं की जानी चाहिए ।

3. आय और धन की स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 14 (1) के अधीन कोई घोषणा, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की बाबत नहीं की जा सकती, जिसे घोषणाकर्ता 8 अक्तूबर, 1975 को या उसके पश्चात् दी गई आय की विवरणी में घोषित करने में असफल रहा है ।

4. यह घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए ।

प्ररूप ग

(नियम 5 देखिए)

शुद्ध धन या ऐसी आस्तियों के, जो प्रकट न की गई हों या कम बताई गई हों, मूल्य की बाबत, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 15(1) के अधीन घोषणा के लिए प्ररूप

सेवा में,

आयकर आयुक्त,

.....

महोदय,

मैं, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 के अधीन घोषणा करता/करती हूं ।

मैं निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां दे रहा/रही हूं:—

1. (क) घोषणाकर्ता का नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)

(ख) स्थायी लेखा संख्या (यदि कोई हो).....

2. पता : कार्यालय.....टेलीफोन संख्या.....

निवास स्थान.....टेलीफोन संख्या.....

3. घोषणाकर्त्ता की प्रास्थिति.....
(यह बताएं कि वह व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है)

4. (क) क्या धन-कर निर्धारित किया गया है.....

(ख) यदि हां, तो उस धन-कर सर्किल/वार्ड/जिले का नाम, जहां अन्तिम निर्धारण किया गया ।

†5. घोषित शुद्ध धन का विवरण

(प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए शुद्ध धन की एक विवरणी संलग्न करें)

क्रम सं०	निर्धारण वर्ष	शुद्ध धन की राशि	टिप्पण

6. प्रकट न की गई या कम बताई गई आस्तियों के मूल्य का विवरण

क्रम सं०	निर्धारण वर्ष	आस्तियों का वर्णन जो प्रकट नहीं की गई है या जिनका मूल्यांकन कम किया गया है	यथा विवरणित/ यथा निर्धारित आस्तियों का मूल्य	घोषित मूल्य	कम बताई गई राशि

††7. प्रभार्य धन कर की राशि.....

(जहां घोषणा एक से अधिक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित हो वहां प्रत्येक वर्ष की बाबत धन कर पृथक्तः दर्शित किया जाना चाहिए)।

8. घोषणा की तारीख से पूर्व संदत्त धन-कर.....
(संदाय का सबूत संलग्न करें)

सत्यापन

मैं,.....,*पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
(स्पष्ट अक्षरों में नाम) (*पिता/पति का नाम)

सत्यनिष्ठापूर्व घोषित करता हूं/करती हूं कि—

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है;

(ख) अन्य व्यक्तियों की मार्फत मेरे द्वारा धारित सभी आस्तियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित आस्तियों का, जिनको मेरी शुद्ध धन-राशि की संगणना करते समय सम्मिलित किया जाना है, मूल्य इस घोषणा में दर्शाया गया है;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित आस्तियों का, जिनको मेरी शुद्ध धन-राशि की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाना है, मूल्य इस घोषणा में नहीं दर्शाया गया है।

मैं यह और घोषित करता/करती हूं कि मैं.....
(पदाभिधान)

की हैसियत में यह घोषणा कर रहा/रही हूं और मैं यह घोषणा करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

.....
(हस्ताक्षर)

स्थान.....
तारीख.....

†यदि इसके लिए दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो इस प्रयोजन के लिए पृथक अनुलग्नक का उपयोग किया जा सकता है।

††घोषित शुद्ध धन-राशि/मूल्य की बाबत प्रभार्य धन-कर की संगणना आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 15 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

टिप्पण :

1. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा हर प्रकार से ठीक और पूर्ण है।

2. आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 की धारा 15(1) के अधीन घोषणा, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 या धारा 17 के अधीन 8 अक्तूबर, 1975 के पूर्व घोषणाकर्ता पर सूचना की तामील की जा चुकी है, निर्धारणीय शुद्ध धन के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती।

3. आस्तियों के मूल्य का उतना भाग, जितना उस तारीख के पूर्व जिस तारीख को घोषणा की गई है, धन कर अधिकारी द्वारा किए गए सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण में निर्धारित किया गया है, इस घोषणा में दर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

4. यह घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।

[सं० 1128/फा० सं० 142(47)/75-टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975